भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2309

सोमवार, 01 अगस्त, 2022/10 श्रावण, 1944 (शक)

खानों में दुर्घटनाएं

2309. कुमारी चन्द्राणी मुर्मु:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): वर्ष 2010 से अब तक पूरे देश, विशेषकर ओडिशा में खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और उन दुर्घटनाओं की श्रेणियां क्या है तथा इनमें मरने वाले और घायल होने वाले लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिसा में मानदंडों के अनुसार धनराशि, रोजगार और अन्य मुआवजे के संदर्भ में ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मुआवजे की नीति क्या है;

(ग) लापरवाही के कारण होने वाले मामलों/दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने समाधान प्रदान करने के लिए कृतक बल गठित किया है, ताकि दुर्घटनाएं न हों, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): वर्ष 2010 से अब तक खानों में दुर्घटनाओं, ओड़िसा सहित पूरे देश में मृत्यु और घायल होने वाले लोगों की संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ख): खानों में कार्यरत कामगारों के घायल होने और मृत्यु होने की घटनाओं के लिए क्षतिपूर्ति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के अनुसार संबंधित खान प्रबंधन द्वारा की जाती है। क्षतिपूर्ति, आदि का ब्यौरा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

खान अधिनियम 1952 के तहत किसी दुर्घटना में घायल श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के उपबंध भी हैं। खान मालिकों से अपेक्षित है कि वे उपबंधों का पालन करें अर्थात जिस रोजगार के लिए कर्मचारी चिकित्सीय रूप से योग्य है, उसके लिए उसे खान में वैकल्पिक नियोजन, यथा विहित दर के अनुसार निर्धारित नि:शक्तता भत्ता, आदि प्रदान करें।

(ग): देश में खानों में घटित दुर्घटनाओं की संख्या संलग्न है। प्रत्येक दुर्घटना के बाद, श्रम और रोजगार मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कराता है ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से भविष्य में बचा जा सके। जांच के बाद, डीजीएमएस दुर्घटना के जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करता है। इन कार्रवाईयों में न्यायालय में अभियोजन, निलम्बन, सेवा से बर्खास्तगी, पदोन्नति/वेतनवृद्धि रोक लेना, सांविधिक पद से हटाना, आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ): खान कामगारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए खान अधिनियम 1952 के उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खानों के निरीक्षण का कार्य डीजीएमएस को सौंपा गया है। डीजीएमएस द्वारा खानों में दुर्घटनाओं के कारण मौतों की संख्या को कम करने और इनमें कार्यरत कामगारों की सुरक्षा में सुधार करने हेतु किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i). **विधायी उपायः** (क) दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए दुर्घटना और खतरनाक घटनाओं की जांच करना, और खान प्रबंधन को उपयुक्त उपचारात्मक उपाय सुझाना।

(ख) खानों का निरीक्षण: किसी खदान या उसके किसी भाग पर अस्थायी रोक लगाना; निरीक्षण के दौरान पाए गए क़ानून के उल्लंघनों को सुधारने के लिए सुधार नोटिस और निषेधात्मक आदेश देना।

(ii). **विकासात्मक उपाय** जैसे मानक निर्धारण, आईएलओ अभिसमयों की विभिन्न सिफारिशों को अपनाना।

(iii). **संवर्धनात्मक उपाय** जैसे खानों में सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) आयोजित करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य प्रशिक्षण प्रदान करना, सुरक्षा सप्ताह मनाना और सुरक्षा अभियान चलाना, बचाव प्रतियोगिता आयोजित करना, सुरक्षा प्रबंधन, जागरूकता और सूचना के प्रचार-प्रसार में कामगार की भागीदारी को बढ़ावा देना।

(iv). **तकनीकी उपाय** जैसे जोखिम आकलन तकनीक आरंभ करना और सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करना, जिसका लक्ष्य जोखिमों को कम करना और कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, खानों में असुरक्षित प्रथाओं से बचने के लिए मानक कार्य प्रक्रियाओं की शुरूआत करना, समय-समय पर चिन्हित क्षेत्रों में सुरक्षित संचालन के लिए दिशानिर्देशों के रूप में परिपत्र जारी करना।

* *****

अनुबंध-I

'खानों में दुर्घटनाएं' के संबंध में कुमारी चन्द्राणी मुर्मु द्वारा पूछे गए दिनांक 01.08.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2309 के भाग (क) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

कैलेंडर वर्ष 2010-2022 के दौरान देश में खानों में घातक दुर्घटनाओं, गंभीर दुर्घटनाओं, मारे गए व्यक्तियों और घायलों का ब्यौरा

वर्ष	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	घायलों की संख्या
2010	97	118	480	511
2011	65	67	533	556
2012	79	83	536	548
2013	77	82	456	468
2014	59	62	379	394
2015	54	55	302	316
2016	67	94	268	278
2017	56	61	266	272
2018	49	62	266	280
2019	51	56	193	204
2020	48	53	118	139
2021	43	51	188	195
2022 *	25	31	64	66

(*दिनांक 30.06.2022 तक)

कैलेंडर वर्ष 2010 – 2022 के दौरान ओडिसा में खानों में घातक दुर्घटनाओं, गंभीर दुर्घटनाओं, मारे गए व्यक्तियों और घायलों का ब्यौरा

वर्ष	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	घायलों की संख्या
2010	2	2	6	6
2011	4	4	10	10
2012	2	2	9	9
2013	1	1	9	10
2014	1	1	11	11
2015	3	3	4	4
2016	2	2	4	4
2017	5	5	2	2
2018	8	8	2	4
2019	7	10	2	2
2020	5	5	2	2
2021	2	2	3	3
2022*	0	0	4	4

(* दिनांक 30.06.2022 तक)

*****